न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 15 / 2020

प्रार्थी–

लालीदेवी पुत्री करणाराम जाति लोहार पत्नि मधाराम पुत्र भगवानाराम निवासी मौखाब कला तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल लोहारों का वास, नया मोरसीम तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी–

1. भीमा पुत्र अमरा
2. हंजारीराम पुत्र भीमाराम
3. जसाराम पुत्र भीमाराम
4. निम्बाराम पुत्र भीमाराम जातियान लोहार निवासी मौखाब कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 ।

उपस्थिति :–

1. श्री रामस्वरूप भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाश नारायण सारण, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.10.1963 को अप्रार्थी संख्या 01 भीमा पुत्र अमरा जाति लोहार निवासी मौखाब कलां तहसील शिव जिला बाड़मेर के नाम ग्राम मौखाब कलां खसरा नंबर 78 में रकबा 201–06 बीघा में से 23–00 बीघा भूमि आवंटन की गई। अप्रार्थी की ओर से तथ्य छिपाकर भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर आवंटन कराया जाना अभिकथित करते हुए उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी भीमा ने स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताकर मौजा मौखाब कलां के खसरा नंबर 78 रकबा 201–06 बीघा में भूमि आवंटित करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें दर्शाया गया कि मेरे नाम एवं परिवार के किसी सदस्य के नाम से काश्त के लिये कोई कृषि भूमि नहीं है। जिस पर हल्का पटवारी भीयाड़ द्वारा इस आशय की तस्दीक की गई कि भीमा पुत्र करना कौम लोहार जो मौखाब खुर्द का निवासी है एवं इसके पास खातेदारी की भूमि व पिता के नाम खातेदारी की भूमि नहीं है। तत्कालीन सरपंच मौखाब द्वारा भी अप्रार्थी भीमा को भूमिहीन काश्तकार बताया जाकर इसको काश्त करने हेतु भूमि दी जाने हेतु सहमति दी। उक्त आवेदन की पुश्त पर हल्का पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत मौखाब द्वारा तस्दीक करने पर तत्कालीन तहसीलदार शिव द्वारा खसरा नंबर 78 पड़त हिस्सा में से 23 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित की गई। अप्रार्थी भीमा द्वारा उस समय आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में अमरा का पुत्र होते हुए अपनी गलत वल्दियत (करना) के नाम का उल्लेख कर भूमि नियमन व आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्राप्त की है। तत्पश्चात गावं मौखाब खुर्द में खसरा नंबर 259/78 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी चारम की भूमि को तहसीलदार ... के आदेश नंबर 256 दिनांक 03.10.1963 के अनुसार रेगुलराइजेशन/नियमन खातेदारी की गई। इस प्रकार दोनो खसरों मे 60 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरण भीमा पुत्र करना के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज/अमल दरामद किया गया। अप्रार्थी सं.

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1 ने सही तथ्यों को छिपाकर व आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर उक्त भूमि आवंटन कराई है जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी मे नहीं था। इस प्रकार अप्रार्थी भीमा अथवा उसके सम्बन्धियों ने भूमि आवंटन समिति के समक्ष सही तथ्यों को छिपाकर छल व कपट के आधार पर अपने पक्ष में भूमि का आवंटन कराया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया उपरोक्त भूमि आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने प्रार्थी की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी भीमा द्वारा तथ्य छिपाकर कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि भीमा पुत्र करना द्वारा मौजा मौखाब खुर्द के खसरा नंबर 78 में पड़त हिस्सा में 23 बीघा भूमि का आवंटन एवं तत्पश्चात गावं मौखाब खुर्द में खसरा नंबर 259/78 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी चारम की भूमि को तहसीलदार शिव के आदेश नंबर 256 दिनांक 03.10.1963 के अनुसार रेग्लुलाईजेशन/नियमन खातेदारी की गई। इस प्रकार दोनो खसरों मे 60 बीघा 10 विस्वा भूमि का नामान्तकरण भीमा पुत्र करना के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज/अमल दरामद किया गया। अप्रार्थी भीमा द्वारा स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताया जाकर अमरा का पुत्र होते हुए अपनी गलत वल्दियत (करना) के नाम का उल्लेख कर भूमि नियमन व आवंटन द्वारा प्राप्त की है। इस साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी सं. 1 ने कोई ठोस दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया हैं। इससे यह तथ्य भली–भांति साबित हैं कि अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी मे नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं आता था। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन को निरस्त करने का प्रावधान हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2001 (1) पृष्ठ संख्या 478 से 480 में स्टेट बनाम करण सिंह प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी के पिता के पास खातेदारी भूमि होते हुए भी इस तथ्य को छिपाते हुए एवं मिथ्या वचन के आधार पर आवंटन कराया जो नियमानुसार निरस्त योग्य निर्धारित किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अमरा का पुत्र होते हुए अपनी गलत वल्दियत (करना) के नाम का उल्लेख कर एवं सद्भाविक भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं होने के बावजूद तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन किया गया है जिसके आधार पर आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.10.1963 को अप्रार्थी भीमा पुत्र करना जाति लोहार निवासी मौखाब कलां तहसील शिव जिला बाड़मेर के नाम ग्राम मौखाब कलां के खसरा नंबर 78 में रकबा 23 बीघा भूमि आवंटन तथ्य छिपाकर, भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर, मिथ्याव्यपदेशन द्वारा आवंटन कराया जाना पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर